



बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लायज कॉरपोरेशन, लि०,

“स्वाद्य भवन”, दारोगा राय पथ, आर०ब्लॉक, रोड नं० २, पटना ८००००१

ज्ञापांक- 3:02:125:01:17 6332

दिनांक - ०५/०७/१७

आवश्यक सूचना

प्रेषित,

1. निशान्त कुमार(रौल नं० 108728) पिता-श्री प्रहलाद पाण्डेय।
2. अभिषेक कुमार(रौल नं० 105212) पिता-श्री तारक नाथ महतो।
3. पप्पु कुमार पंकज(रौल नं० 109391) पिता-श्री गोपाल प्रसाद।
4. अजाज अख्तर(रौल नं० 101333) पिता-मो०फाहिम अख्तर।
5. अमित कुमार उपाध्याय(रौल नं० 114278) C/o-लक्ष्मीकान्त पाण्डेय।
6. आलोक कुमार(रौल नं० 114699) पिता-श्री प्रताप नारायण।
7. सुमित प्रभाकर(रौल नं० 101223) पिता-श्री विनोद प्रसाद।
8. मनोज सिंह(रौल नं० 107641) पिता-श्री विन्देश्वरी सिंह।
9. मो०नजरुदीन(रौल नं० 113316) पिता-श्री दिल मोहम्मद।
10. शम्स आलम(रौल नं० 113316) पिता-मो०इदरीस।
11. निलमणी जायसवाल(रौल नं० 100217) पिता-श्री रामबाबू चौधरी।
12. अजय कुमार(रौल नं० 103869)
13. राज कुमार(रौल नं० 113615)
14. कंचनेश्वर श्रीवास्तव(रौल नं० 106389) पिता-स्व०बी०पी०श्रीवास्तव।
15. राजन कुमार गिरी(रौल नं० 10114032) पिता-श्री रामबाबू चौधरी।
16. अन्य अभ्यर्थी।

विषय:- समकक्ष योग्यता वाले अभ्यर्थियों का पक्ष जानने के संबंध में।

संदर्भ:- CWJC No.17093/2016,17507/2016 एवं 17869/2016 निशान्त कुमार, अभिषेक कुमार बनाम स्टेट आफ बिहार एवं अन्य।

निदेशानुसार उपरोक्त विषय के मामले में प्राप्त अभ्यावेदनों एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में समकक्ष योग्यता वाले सभी अभ्यर्थियों को नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के तहत अपना पक्ष रखने हेतु सुनवाई का एक मौका दिया जाता है।

आप निदेशित है कि दिनांक 6.7.17 के पूर्वाह्न 11.00 बजे प्रबंध निदेशक के समक्ष अपना शैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेंगे।

प्रमुख प्रशासन

ज्ञापांक 3:02:125:01:17 6332

दिनांक - ०५/०७/१७

प्रतिलिपि-उप प्रमुख विधि/गोपनीय शाखा, निगम मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रमुख प्रशासन